न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 70/2021
GCMS No. –2021/172

1. अंबालाल पिता श्री मांगीलाल धाकड़ निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०
2. लोकेश पिता श्री अंबालाल धाकड़ निवासी कनेरा तह० निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

–– वादीगण

बनाम

1. रामकिशन पिता केशुराम धाकड़ निवासी कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ राज.
2. भूमिधारी श्री तहसीलदार व उपपंजीयक निम्बाहेड़ा।

– प्रतिवादीगण

वाद तहत धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– 1– श्री अमरचंद धाकड़ – अधिवक्ता वादीगण
2– प्रतिवादी के विरूद्ध एक पक्षिय कार्यवाही

:: निर्णय :: दिनांक :– 16.07.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजियात वाके मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा में खाता संख्या 3753 रकबा 1.0800 हैक्टेयर स्थित है। उक्त आराजियात से जुड़ी हुई आराजी संख्या 3765 स्थित है, जिस पर 32 वर्ष वसे वादी का कब्जा है।

2. मौके पर उक्त आराजियात एक झॅूझ होकर वादीगण वादग्रस्त आराजियात का शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग कर रहे हैं, तथा गयी बार उक्त आराजी पर गेहूं की फसल की बुवाई [illegible] 3765 बिलानाम सरकार होकर प्रतिवादी अच्छी तरह जानते हुए कि [illegible] वादी लोकेश अंबालाल का कई वर्षों से कब्जा हैं [illegible] का शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग कर [illegible] रहे है, उक्त तथ्य के बावजूद प्रतिवादी वादी के वादग्रस्त आराजियात के शांतिपूर्णरू उपयोग[illegible] में दखलअंदाजी करने का असफल प्रयास कर रहे हैं, जो कतई [illegible] नहीं होकर प्रतिवादीगण वादग्रस्त आराजियात पर वादीगण के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी नहीं करने हेतू जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हो गया हैं।

3. वादग्रस्त आराजी सं. 3765 में वादी का कब्जा होकर कब्जे की ताईद में

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:24:43 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

लगान जमा कराया जाता है, नोटिस की प्रति व रसीदें पेश है। इस प्रकार प्रतिवादी उक्त तथ्यों को जानते हुए भी जमीनों की किमतें बढ़ने के कारण लालचवश अपने धनबल व मुठबल के आधार पर वादग्रस्त आराजी के भू–भाग वादी के वादग्रस्त आराजी के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में दखल व बाधा पैदा करने का असफल प्रयास कर रहा हैं, अतः प्रतिवादी सं. 1 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित है।

4. वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादीगण को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, बावजुद बाद तामिल वकील मय प्रतिवादीगण अनुपस्थित, इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही का आदेश प्रदान किया गया।

5. दस्तावेजी साक्ष्य में वादीगण ने जमाबन्दी सम्वत 2077–2080 ग्राम कनेरा पटवार हल्का कनेरा की खाता संख्या 18 की प्रति पेश कि जो प्रदर्श–1 है, तहसीलदार निम्बाहेडा के नोटिस राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के नोटिस की प्रति पेश की जो प्रदर्शः 2 है, प्रतिवादी द्वारा वादीगण के खेत में अनाधिकृत रूप से घुसकर खेत में खाई लगाने व पत्थर की दिवाल को मिटाने के फोटो दस्तावेज पेश किये जो प्रदर्श 3 व 4 है।

6. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी की सुनी गई। मिसल का अवलोकन करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। अधिवक्ता वादीगण की बहस एक पक्षिय सुनी गई। अधिवक्ता वादिगण की बहस सुनने उपरान्त पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया, प्रदर्श–1 जमाबंदी जिसमें वादी बतौर खातेदार दर्ज है उससे जुड़ी हुई आराजियात 3765 बिलानाम है जिस पर लगभग 32 वर्षो से वादी का कब्जा है। आराजी संख्या 3765 बिलानाम सरकार होकर प्रतिवादी अच्छी तरह जानते हैं कि मौके पर वादी लोकेश अंबालाल का कई वर्षो से कब्जा है तथा वादीगण ही उक्त आराजी का शांपितपूर्ण उपयोग–उपभोग कर रहे हैं व फसल कमा रहे हैं, उक्त तथ्य के बावजूद प्रतिवादी वादी के वादग्रस्त आराजियात के शांतिपूर्ण उपयोग–उपभोग में दखलअंदाजी करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस कारण वाद वादी का वाद डिक्री किया जाता है एवं वादी को प्रतिवादी कमांक 1 द्वारा अवैध आधिपत्य किये भू–भाग को पुनः वादी को सुपूर्द करने का आदेश प्रतिवादी कमांक 1 को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. **अतः वाद वादिगण कतई डिक्री किया जाता है तथा यह आदेश दिया जाता है कि विवादित भूमि मौजा कनेरा पटवार हल्का कनेरा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 18 की आराजी नंबर 3753 रकबा 1.0800 हैक्टेयर स्थित हैं। भूमि में प्रतिवादी क्रमांक 1 को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादीगण की खातेदारी की आराजियात में खाई नहीं डालें, पत्थरों के पीलर नहीं खड़े करें, तारबंदी नहीं करें, वादग्रस्त आराजियात में वादीगण के आवागमन व शांतिपूर्ण उपभोग में किसी तरह की दखल व बाधा पैदा नहीं करें। प्रकरण फैसल होकर नम्बर से कम हो। डिकी पर्चा पृथक से बनाया जावे।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.10 15:24:43 IST
Reason: SelfAttested

6. निर्णय आज दिनांक 16.07.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलेक्टर
निम्बाहेड़ा

Scanned by CamScanner